

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

निम्नांकित ग्राध्यापक, रसायन विज्ञान (स्कूल शिक्षा) को दिदेश यात्रा पर जाने की स्वीकृति-निम्नांकित शर्तों के अधार पर दी जाती है:-

क्रमांक	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	विदेश यात्रा का कारण व अवधि	विदेश का नाम जहां यात्रा करनी है
1	नीना भटनागर, राजमार्ग माणक चौक, जयपुर	भवरण करने हेतु (अवधि दिनांक 04.09.19 से 10.09.19)	दुबई

- विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।
- विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में आदेशित अब्दकाहा में किसी प्रकार की वृद्धि राज्य सरकार की अनुमति दिना स्वीकृति नहीं होगी तथा निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर री.सी.ए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- विदेश से भेजा गया "त्यागपत्र" स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियम नहीं किया जायेगा एवं न हो राजकीय स्वतोत से इन्हें कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करदाई जायेगी।
- उक्त कार्मिकारी सक्षम अधिकार से अपना अवकाश स्वीकृत कराने के पश्यात ही विदेश को प्रस्थान करें। अद्यकाश समाप्ति के तत्काल पश्यात संस्था में अपनी उपरिथित असियार्थी रूप से देनी होगी। एक बार वे स्वीकृत अवकाश को आगे बढ़ाया नहीं जायेगा।
- विदेश प्रवास के दौरान किसी प्रकार का नियोजन स्वीकृत नहीं करें।
- विदेश प्रवास के दौरान जहां-जहां पर रहें उनके पत्ते इन विभाग को तुरन्त अवगत करावें।
- विदेश प्रवास के दौरान किसी प्रकार का अथवन नहीं करें।
- यात्रा का समस्त खर्च रुपरूप के द्वारा बहन किया जायेगा।
- (अ) सक्षम अधिकारी द्वारा विदेश जाने हेतु जब भी अवकाश स्वीकृत किया जाए उससे पूर्व यह पुरी अवश्यक रूप से कर लें कि उक्त कार्मिकारी के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय संघीय/कार्यवाही प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं है।
- (ब) कर्मचारी के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक दाद लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
- (स) कर्मचारी के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का कार्य प्रभावित नहीं हो।
- (द) कर्मचारी द्वारा अपना कार्यकार एवं प्रहल्दपूर्ण दस्तावेजों को हल्जान्तरणपूर्ण रूप से कर दिया गया है।

(नथमल डिडेल)

आई.ए.ए.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :— शिविरा-मा/संस्था/सी-४/रजीगृ/विदेश यात्रा अनुमति/वो.२/2019-20

दिनांक:- २५/१८/१९

प्रतीतिपि निम्नांकित को स्वूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, जयपुर
- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, जयपुर
- संबंधित एवं राज्यान्वय राजभाषी माणक चौक, जयपुर
- संबंधित कार्मिक नीना भटनागर, राजमार्ग माणक चौक, जयपुर
- रिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाव कार्यालय हाजा को विभागीय वैदासाईट पर प्रसारित करने हेतु।
- निम्नी एवं लिख यत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर